भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

21 JUN 2023

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EZ 680220

PRATAPGARH

(प्रारूप-"ब")

शपथ पत्र

हम ...ज्ञानेन्द्र सिंह... एवं ...शोभा सिंह... क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव ...रामदास सेवा ट्रस्ट ... पट्टी प्रतापगढ़... शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है:-

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा ...राम दास सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी ... पट्टी प्रतापगढ़... नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।"

2. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम ...राम दास सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी ... पट्टी प्रतापगढ़... में गाटा संख्या...165... एवं ...166... रकबा क्रमशः...0.482... एवं ...0.188... हेक्टेयर(कुल रकबा) ...0.670... हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या ...165... एवं ...166... रकबा क्रमशः...0.648... एवं ...0.288...हेक्टेयर (कुल रकबा ...1.0528..... हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक ...06/दिसम्बर/2019... द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत दिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित शो के अनुसार किया गया है।

6. यह कि निरीक्षण समिति के उप पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करूंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13 में घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से साथ है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु में स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष